>

Title : Need to ensure implementation of free and compulsory education for children in Uttar Pradesh.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): केन्द्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार एक अप्रैल से कानूनी हक के रूप में लागू किया है, जिसके अंतर्गत देश के सभी राज्यों के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को नःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जायेगी। जिसके तहत निजी स्कूलों में भी 25 फीसदी गरीब बच्चों के एडमिशन का खर्च सरकार वहन करेगी तथा देश के सभी विकास खंडों में प्रारंभिक चरण में एक मॉडल स्कूल खोला जायेगा। इस महत्वकांक्षी योजना को उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए केन्द्र सरकार ने दस हजार करोड़ रूपये देने का निर्णय लिया है। केन्द्र सरकार के द्वारा इस योजना को उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए धन का प्रस्ताव कर दिया गया है। इस योजना के लागू न किये जाने से प्रदेश के लाखों गरीब बच्चों का भविष्य अंधकारमय होने की संभावना है। अतः इसे उत्तर प्रदेश में केन्द्र सरकार तत्काल लागू करायें, इसकी मांग करता हूं।